रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-03042021-226055
CG-DL-W-03042021-226055

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 06] **नई दिल्ली, मार्च 14— मार्च 20, 2021, शनिवार/ फाल्गुन 23— फाल्गुन 29, 1942**
No. 06] **NEW DELHI, MARCH 14— MARCH 20, 2021, SATURDAY/ PHALGUNA 23— PHALGUNA 29, 1942**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2021

का.नि.आ. 10.—केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम,1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता के निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्वारा अधिसूचित करती है:-

आयुध निर्माणियां शिक्षण संस्थान,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय,

आयुध संपदा,

अम्बरनाथ, थाणे

महाराष्ट्र -421502

[फा. सं.5 (2) 2011-रक्षा (रा.भा.-2)]

अनुराग बाजपेई, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

New Delhi, the 16th March, 2021

S.R.O. 10.—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules,1976(as amended in 1987), the Central Government hereby notifies the following office of Ordnance Factory Board, Kolkata, more than 80 % staff whereof has acquired working knowledge of Hindi:-

Ordnance Factories Institute of Learning,

Government of India, Ministry of Defence,

Ordnance Estate

Ambarnath, Thane

Maharashtra -421502

[F.No.5 (2) 2011-D (OL-2)]

ANURAG BAJPAI, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021

का. नि. आ. 11.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, एकीकृत रक्षा कर्मचारिवृंद मुख्यालय के अधीन स्थापना में कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, एकीकृत रक्षा कर्मचारिवृंद मुख्यालय स्थापना, कनिष्ठ अनुवादक(समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगें।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—वह व्यक्ति ,-**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कनिष्ठ अनुवादक	* 01 (एक) (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (35400-112400 रू.)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति द्वारा** : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रु.) या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव हो : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी विषय से भिन्न किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या (iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी विषय से भिन्न किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या (v) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी विषय से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें हिन्दी तथा अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा डिग्री स्तर पर एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और (vi) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, में हिन्दी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिन्दी अनुवादन में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र या हिन्दी से अंग्रेजी अथवा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवादन कार्य का दो वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर – बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी।

	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 15814/कनिष्ठ अनुवादक/आईडीएस/कार्मिक/06/भ. नि./2021]

देवन्द्र कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 12th March, 2021

S.R.O. 11 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translator, in the establishment under Headquarters Integrated Defence Staff, Ministry of Defence, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Establishment under Headquarters Integrated Defence Staff, Junior Translator(Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.—** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Junior Translator	*1 (2021) *Subject to variation dependent on work- load	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level – 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400)

Whether selection post or non selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(11)
Deputation: Officers under the Central Government or State Governments or Union territories; (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely:- (i) master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (ii) master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (iii) master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (iv) master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (v) master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and (vi) recognised diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central Government or State Government office, including Government of India undertaking. **Note 1 :** Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2 :** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 15814/Jr Translator /IDS/Pers/06/RR/2021]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2021

का.नि.आ. 12.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा लेखा विभाग, ज्येष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013 को जहां तक उनका ज्येष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है , रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग, ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं.—** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और कोई अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी	35*(2021) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 6 (35400 - 112400 रु.) में ऐसे कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की है और जिसने विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रदान किए गए उच्चतर पदों के कार्यों से संबंधित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पणी 1:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो (कम न हो) और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता

				सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्र के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (35400 - 112400 रु.) में नियमित आधार पर कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर पांच वर्ष की सेवा; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो:- **शैक्षिक अर्हताएं :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (v) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो और दोनों में से कोई एक परीक्षा का

				माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो। **अनुभव :** भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 2 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 3 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : (1) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक या रक्षा लेखा नियंत्रक या रक्षा लेखा अपर नियंत्रक या रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक - अध्यक्ष ; (2) रक्षा लेखा उप नियंत्रक - सदस्य ; (3) रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक - सदस्य.	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. 9(11)/C/2021]

आर.के.कर्ण, अपर वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 16th March, 2021

S.R.O. 12 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts Department, Senior Translator and Junior Translator (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2013, in so far as it relates to the post of Senior Translator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Translation Officer in the Defence Accounts Department, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Defence Accounts Department, Senior Translation Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. —The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age- limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and any other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Selection post or non-selection post	Age - limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Translation Officer.	35*(2021) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Services, Group `B`, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption grade from which promotion or deputation /absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion, failing which by deputation	**Promotion:** From amongst Junior Translation officer in level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years' service in the grade rendered after

				appointment thereto on regular basis and having successfully completed two weeks training in discharge of duty associated with higher post imparted at various Regional Training Centers functioning under the department. **Note 1** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers from the Central Government or State Government or Union territories : **(a) (i)** holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or **(ii)** having five years service as Junior Translation Officer on regular basis in level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) in the parent cadre or department; and **(b)** possessing the following educational qualifications and experience **:-** **Educational Qualifications :** **(i)** Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or **(ii)** Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or **(iii)** Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or **(iv)** Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or **(v)** Master's Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level. Experience: Two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central Government or State Government office,

				including Government of India undertaking. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty –six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(12)	(13)
Group `B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Principal Controller or Controller or Additional Controller or Joint Controllers of Defence Accounts - Chairman ; (2) Deputy Controller of Defence Accounts - Member; (3) Assistant Controller of Defence Accounts - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 9(11)/C/2021]

R.K.KARNA, Addl. Financial Adviser & Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.03.24 13:44:31 +05'30'